International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 3, May-June, 2025

नौकरी पेशा और बेरोजगार महिलाओं के पारिवारिक संबंधों का अध्ययन

कुमारी लक्ष्मी सिंह[1], डॉ. दीपक कुमारी[2]

[1]शोधार्थी, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर
[2]सहायक प्रोफेसर, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर

सारांश

परिवारों में महिलाओं की भूमिकाएँ, काम और बच्चे की देखभाल दोनों में समय के साथ काफी भिन्नता आई है। प्राचीन काल में अधिकांश लोग खेतों में या छोटे गाँवों में रहते थे। परिवार बुनियादी आर्थिक एवं उत्पादन इकाई था। परिवार और घर के अन्य सदस्य अपने उपभोग के लिए और कभी–कभी दूसरों के उपभोग के लिए सामान तैयार करने के लिए मिलकर काम करते थे। परिवारों के लिए सबसे आम रोज़गार कृषि था। पारिवारिक कृषि का मतलब महिलाओं के लिए भी उसी तरह का काम था जैसा पुरुषों के लिए होता है। हालाँकि विशिष्ट कार्य लिंग से संबंधित हो सकते हैं, यह विचार आम था कि परिवार की आर्थिक भलाई के एक हिस्से के लिए महिलाएँ जिम्मेदार थीं। महिलाओं द्वारा किए गए कार्य इस तथ्य की ओर उन्मुख थे कि वह बच्चों को जन्म दे, लेकिन इससे पारिवारिक उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई। इस प्रकार महिलाओं का काम उनकी आर्थिक और प्रजनन क्षमताओं दोनों का परिणाम था और ये भूमिकाएँ आमतौर पर ओवरलैप होती थीं। औद्योगीकरण और शहरीकरण के आगमन के साथ, परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में बदलाव आया। वैयक्तिकरण की आवश्यकता के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और एकल परिवारों का उदय हुआ।

मुख्य शब्द: महिलाओं, **पारिवारिक, प्रजनन, औद्योगीकरण, शहरीकरण**

परिचय

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता के बाद हुए राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही परिवर्तनों ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान किए। इन परिवर्तनों की मदद से महिलाओं का शोषण काफी हद तक कम हुआ है। महिला संगठनों को अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्रता और बेहतर दिशा प्रदान की गई। महिलाओं पर केंद्रित महत्वपूर्ण शोध, राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तेजी से साकार होने लगे। महिलाओं की निम्न स्थिति के कारणों का अध्ययन करने और विभिन्न क्षेत्रों में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई आयोग नियुक्त किए गए। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उत्सव और यूनेस्को की गतिविधियों ने भी महिलाओं की समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा की।

भारत का संविधान पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। भारत के सभी पुरुष और महिलाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों के समान हकदार हैं। संविधान लैंगिक समानता प्रदान करता है और महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया है और किसी भी तरह से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं माना है। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कई कानून और अधिनियम बनाए हैं जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम (1955) बहुविवाह और बाल विवाह को रोकने और सभी मामलों में महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करने के लिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, दहेज निषेध अधिनियम (1961) विवाह के दौरान दहेज पर रोक लगाने के लिए, महिलाओं का अश्लील चित्रण (रोकथाम) अधिनियम (1986) मीडिया में महिलाओं के अश्लील चित्रण को प्रतिबंधित करता है, और ऐसे अन्य कानून पारित किए गए ताकि भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके।

अध्ययन की आवश्यकता:
इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि मानव जीवन और उनके परिवारों के बीच संबंध घनिष्ठ और अविभाज्य है। परिवार की मूल विशेषता यह है कि सदस्य रिश्तेदारी, रिश्तेदारी, जन्म, विवाह या यहां तक कि गोद लेने के रिश्तों से एक–दूसरे से बंधे होते हैं, जो

बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित नियमों द्वारा शासित होते हैं। परिवारों के भीतर, पति–पत्नी, माता–पिता और बच्चों के बीच, भाई–बहनों आदि के बीच ये रिश्ते भावनात्मक सुरक्षा, भौतिक समर्थन, अपनेपन की भावना, स्थिति, वैधता और सामाजिक पहचान प्रदान करते हैं। परिवार ने महिलाओं और पुरुषों के जीवन के अनुभवों को अलग–अलग तरह से प्रभावित किया है। जैविक कारणों से प्रजनन का दायित्व महिला पर होता है। उसके पास उत्पादन और मानव संसाधनों के रखरखाव की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए महिलाओं का जीवन उस घरेलू माहौल से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्हें रखा गया है। परिवार ठिकाना होने के साथ–साथ वह साधन भी है जिसके माध्यम से समाजीकरण होता है। लैंगिक समाजीकरण संसाधनों और कार्यों को इस तरह से आवंटित करता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में इस वातावरण में अधिक समय बिताती हैं। महिलाएं भी अधिक विवश जीवन जीती हैं।

वर्तमान में कई महिलाएँ अपने घर से बाहर कार्यरत हैं। भारतीय समाज में परिवार अभी भी अपने सदस्यों के लिए एक धुरी और शक्ति स्तंभ बना हुआ है। हालाँकि परिवार और उसके रिश्तों में कई बदलाव हो रहे हैं, परिवार और भावी समाज के भरण–पोषण के लिए पारिवारिक अखंडता और एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महिलाओं के रोजगार और परिवार पर इसके प्रभाव की गहराई से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। कुछ का उल्लेख करने के लिए वैवाहिक समायोजन, पारिवारिक सामंजस्य और माता–पिता–बच्चे के संबंधों पर अलग–अलग भारतीय अध्ययन किए गए हैं, लेकिन महिलाओं के रोजगार और पारिवारिक संबंधों पर कम शोध कार्य का पता लगाया गया है। चूँकि परिवार और पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए उन कारकों की खोज करना महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक रिश्तों पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डालेंगे। इसलिए शोधकर्ता रिश्तों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पति–पत्नी संबंध, माँ–बच्चे के रिश्ते और पारिवारिक संपर्क पैटर्न की जांच करना चाहता है। महिला की स्थिति, वैवाहिक भूमिकाओं और रोजगार के प्रति उसकी धारणाओं पर अध्ययन का प्रयास करना भी सार्थक होगा।

साहित्य की समीक्षा

हिना अहमद हाशमी, एट अल (2007) ने 'इंटरनेट जर्नल ऑफ मेडिकल अपडेट' में "कामकाजी और गैर–कामकाजी विवाहित महिलाओं के बीच वैवाहिक समायोजन, तनाव और अवसाद" पर प्रकाशित एक अध्ययन किया, जिसका उद्देश्य वैवाहिक समायोजन, तनाव और अवसाद के बीच संबंधों की खोज करना था। अध्ययन के नमूने में 150 कामकाजी और गैर–कामकाजी विवाहित महिलाएं शामिल थीं (कामकाजी विवाहित महिलाएं = 75, गैर–कामकाजी विवाहित महिलाएं = 75)। उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच थी। उनकी शिक्षा कम से कम स्नातक और उससे ऊपर थी। वे मध्यम और उच्च सामाजिक–आर्थिक स्थिति से संबंधित हैं। डायडिक एडजस्टमेंट स्केल (2000), बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी (1996) और स्ट्रेस स्केल (1991) के उर्दू अनुवाद का इस्तेमाल किया गया। परिणामों ने वैवाहिक समायोजन, अवसाद और तनाव के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध का संकेत दिया। परिणाम आगे बताते हैं कि उच्च शिक्षित कामकाजी और गैर–कामकाजी विवाहित महिलाएँ अपने विवाहित जीवन में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं और वे शिक्षित कामकाजी और गैर–कामकाजी विवाहित महिलाओं की तुलना में अवसाद से मुक्त हैं। कैला (2007) ने 'जर्नल ऑफ़ द इंडियन एकेडमी ऑफ़ एप्लाइड साइकोलॉजी' में "भारतीय संगठनों में महिला प्रबंधक" प्रकाशित किया और महिला प्रबंधकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की प्रवृत्ति, जिस तरह से समस्याएँ उन्हें प्रभावित करती हैं,

और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों की समीक्षा करने के लिए 81 संगठनों में साक्षात्कार किए गए 140 महिला प्रबंधकों का गुणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। खुले प्रश्नों का उपयोग करके एक संरचित प्रश्नावली की मदद से गहन व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किए गए। प्रबंधकों की कहानियों ने महिलाओं के प्रबंधकीय जीवन और पेशे को समझने में एक व्यापक आधार प्रदान किया है। बेहतर संगठनात्मक स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए निहितार्थों को रेखांकित किया गया है। रत्ना सुदर्शन और श्रेयना भट्टाचार्य (2009) ने 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में "थ्रू द मैग्निफाइंग ग्लासः वूमेन वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन अर्बन दिल्ली" प्रकाशित किया। सितंबर और नवंबर 2006 के बीच शहरी दिल्ली में एक घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से किए गए एक अध्ययन में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में दर्ज की गई दर से अधिक महिला कार्यबल भागीदारी दर का अनुमान लगाया गया है। यह कम गिनती की ओर इशारा करता है और महिलाओं के काम के इर्द–गिर्द मौजूद अनौपचारिकता को दर्शाता है। यह शोधपत्र महिलाओं की कार्यबल भागीदारी की प्रकृति का पता लगाने का प्रयास करता है और महिलाओं के काम करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों, उनके द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार, उनके सामने आने वाली बाधाओं और घर के बाहर भुगतान वाले काम में शामिल होने के कथित लाभ और लागतों की पहचान करने का प्रयास करता है। ऐसा करने में, शहरी संदर्भ में महिलाओं के काम की कार्यप्रणाली और कम आंकलन से जुड़े मुद्दों से भी निपटा जाता है। अध्ययन यह भी सुझाव देता है कि पारिवारिक और घरेलू संदर्भ को समझने की आवश्यकता है जिसके भीतर श्रम बाजार के निर्णय लिए जाते हैं। महिलाओं के कार्य–जीवन विकल्पों को निर्धारित करने में परिवार और रिश्तेदारी संरचनाओं की भूमिका आगे के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. नौकरीपेशा और बेरोजगार महिलाओं के पारिवारिक संबंधों के बारे में अध्ययन करना।
2. नौकरीपेशा और बेरोजगार महिलाओं के मां–बच्चे के रिश्ते का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

शोध कार्य के कुछ मामलों में, पूरे शोध का विश्लेषण करना लगभग असंभव होगा; इसलिए शोध नमूने का उपयोग करना ही एकमात्र विकल्प होगा। वर्तमान शोध का एक ही उद्देश्य होगा, शोध कार्य के विश्लेषण का नमूना तय करने की प्रक्रिया, प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिला रोजगार का परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव का एक तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित होगा।

इस अध्ययन के नमूने में 207 नियोजित महिलाएं और 103 बेरोजगार महिलाएं शामिल होंगी। नियोजित महिलाएँ क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्याख्याता, बैंकों और सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और वैज्ञानिकों के रूप में विभिन्न पूर्णकालिक व्यवसायों में लगेंगी। बेरोजगार महिलाएं पूर्णकालिक गृहिणी होंगी। यह अध्ययन केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले तक ही सीमित रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जिलेवार रोजगार से पता चलता है कि तिरुवनंतपुरम में नियोजित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की जाएगी। डेटा संग्रह अनुसंधान गतिविधियों के लिए पूर्ण और सटीक डेटा प्राप्त करने के लिए स्रोतों से डेटा एकत्र करने और मापने का व्यवस्थित तरीका होगा। अध्ययन के सभी क्षेत्रों में तथ्य संग्रह घटक शरीर और सामाजिक विज्ञान, मानविकी और निगमों पर आधारित होगा। यह शोधकर्ता और विश्लेषकों द्वारा एकत्रित की जाने वाली जानकारी पर आधारित होगा। जोकि शोध विषय वस्तु के दृष्टिकोण के विपरीत, सही और सच्चे क्रम को बनाए रखने का मूल्य उद्देश्य होगा। अनुसंधान की विश्वसनीयता को बनाए रखने और उत्कृष्ट परिणामों और उनके निष्कर्षों को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान डेटा संग्रह आवश्यक होगा। अध्ययन के लक्ष्यों कों प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आपूर्ति डेटा संग्रह के मूल्यवान द्वारा होगा।

परिणाम एवं डेटा व्याख्या

शोध पद्धति में, यह पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि, शोधकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न सरकारी विभागों जैसे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पुलिस, परिवहन (NEKRTC), बिजली (GESCOM), राजस्व, सामाजिक कल्याण, बैंक आदि का दौरा किया और प्रश्नावली के माध्यम से कामकाजी महिलाओं से प्राथमिक डेटा एकत्र किया। जिन विभागों और संस्थानों में महिलाएँ काम कर रही हैं, उनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

तालिका क्रमांक 4.1. विभाग का कार्य

विभाग का कार्य	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	63	20.29
उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)	23	7.43
NEKRTC	14	4.29
GESCOM	22	6.86
पुलिस	18	5.71
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	37	12.00
राजस्व	11	3.71
PWD	4	1.14
प्रत्यक्ष कर (आयकर, संपत्ति कर, आदि)	8	2.57
नगर निगम	59	18.86
बैंकिंग एवं बीमा	22	7.14
कोई अन्य	31	10.00
कुल	310	100

उपरोक्त तालिका में प्रस्तुत एकत्रित प्राथमिक आंकड़ों से पता चला कि, सर्वेक्षण में शामिल सभी महिलाओं में से 63 (20.29%) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में काम कर रही हैं, इसके बाद 59 (18.86%) शहर नगर निगम में काम कर रही हैं, 37 (12. 00%) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में काम कर रही हैं, 31 (10.00%) विभिन्न विभागों जैसे खजाना, कृषि, सामाजिक कल्याण, आदि में काम कर रही हैं, 23 (7.43%) उच्च शिक्षा में काम कर रही हैं, जो विश्वविद्यालयों में हैं, 22 (7.14%) बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में काम कर रही हैं, 22 (6.86%) बिजली क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो जीईएससीओएम में है, 18 (5.71%) पुलिस विभाग में काम कर रही हैं, 14 (4.29%) सार्वजनिक परिवहन में काम कर रही हैं, जो एनईकेआरटीसी है, 11 (3.71%) राजस्व विभाग में

काम कर रही हैं कर आदि में कार्यरत हैं तथा मात्र 4 (1.14%) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि तुलनात्मक रूप से उच्च शिक्षा, नगर निगम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सहित शिक्षा के क्षेत्र में अधिक महिलाएं कार्यरत हैं।

उत्तरदाताओं की आयु:

इससे पहले, समाज में महिलाओं की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था तथा यहां तक कि कई परिवारों द्वारा महिलाओं को बाहरी रोजगार और नौकरी की अनुमति नहीं दी जाती थी। वैश्वीकरण के बाद, महिलाओं के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और इस प्रकार, कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस संबंध में, कामकाजी महिलाओं के कार्य निष्पादन और कैरियर के मुद्दों में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कामकाजी महिलाओं का ज्ञान मुख्य रूप से ऐसी महिलाओं की आयु और शिक्षा से निर्धारित होता है। इसलिए, कामकाजी महिलाओं से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया और निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया।

तालिका क्रमांक 4.2. कामकाजी महिलाओं की आयु

आयु (वर्ष)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
18 से 30 वर्ष (युवा)	121	39.14
31 से 50 वर्ष (मध्य)	133	42.86
51 से 60 वर्ष (वृद्ध)	56	18.00
कुल	310	100

सुविधा के लिए, उत्तरदाताओं की आयु तीन समूहों में प्रस्तुत की गई है, अर्थात् युवा, 18 से 30 वर्ष के बीच, मध्यम आयु, अर्थात् 31 से 50 वर्ष और वृद्ध, अर्थात् 50 वर्ष से अधिक। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल सभी कामकाजी महिलाओं में से 133 (42.86%) 31 से 50 वर्ष की आयु की हैं, उसके बाद 121 (39.14%) युवा आयु वर्ग की हैं, अर्थात् 18 से 30 वर्ष के बीच और शेष 56 (18.00%) वृद्ध, अर्थात् 50 वर्ष से अधिक आयु की हैं। इससे पता चलता है कि कामकाजी महिलाओं में से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग की हैं।

तालिका क्रमांक 4.3. रोजगार और नौकरी का आत्मविश्वास पर प्रभाव

रोजगार और नौकरी का आत्मविश्वास पर प्रभाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पूरी तरह से आत्मविश्वासी	144	46.57
आत्मविश्वास है लेकिन परिवार की पाबंदियाँ हैं	120	38.86
हीनता महसूस करना	36	11.71
संकोच	9	2.86
कुल	310	100

सभी कामकाजी महिलाओं के आत्मविश्वास पर रोजगार और नौकरी का प्रभाव दर्शाता है कि, 144 (46.57%) कामकाजी महिलाओं ने उल्लेख किया है कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं, 120 (38.86%) ने उल्लेख किया है कि उनमें आत्मविश्वास है, लेकिन पारिवारिक प्रतिबंध बाधा बन गए हैं, 36 (11.71%) कामकाजी महिलाओं ने हीनता महसूस की है और 9 (2.86%) झिझक महसूस कर रही हैं।

गृहिणियों की तुलना में संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला के रूप में गर्व:

नौकरीपेशा महिलाएं आय अर्जित कर रही हैं और इस तरह, उन्हें गृहिणियों की तुलना में गर्व और स्थिति है। फिर भी अपने परिवार के सदस्यों के दमन या कम काम के कारण, वे गर्व महसूस नहीं कर रही हैं। इस संबंध में जानकारी एकत्र की गई और नीचे दिखाया गया है।

तालिका संख्या 4.4. गृहिणियों की तुलना में संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला के रूप में गर्व

संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला के रूप में गर्व की अनुभूति गृहणियों की तुलना में	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
गर्व महसूस करना	148	47.71
कुछ हद तक गर्व महसूस करना	128	41.43
गर्व महसूस न करना क्योंकि काम कम है	34	10.86
कुल	310	100

ह देखा गया है कि, संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में से केवल 148 (47.71%) ही गृहिणियों की तुलना में रोजगार प्राप्त महिला के रूप में गर्व महसूस करती हैं, 128 (41.43%) कुछ हद तक गर्व महसूस करती हैं और 34 (10.86%) कामकाजी महिलाएं गर्व महसूस नहीं करती हैं क्योंकि उनका काम कम है।

रोजगार में भागीदारी के बाद परिवार की सामाजिक–आर्थिक प्रगतिः

रोजगार में महिलाओं की भागीदारी के बाद, परिवार में अधिक सामाजिक संपर्क, बढ़ी हुई आय और अधिक धन हो सकता है। परिणामस्वरूप, ऐसी कामकाजी महिलाओं के परिवारों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति अधिक हो सकती है। इस संबंध में, कामकाजी महिलाओं से जानकारी एकत्र की गई और निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई।

तालिका संख्या 4.5. रोजगार में भागीदारी के बाद परिवार की सामाजिक–आर्थिक प्रगति

रोजगार में भागीदारी के बाद परिवार की सामाजिक–आर्थिक प्रगति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
पूरी तरह से सुधार	118	38.00
काफी सुधार	150	48.29
कुछ हद तक सुधार	43	13.71
सुधार नहीं	--	--
कुल	310	100

यह देखा गया है कि, सभी कामकाजी महिलाओं में से 118 (38.00%) ने उल्लेख किया है कि उनके रोजगार में भागीदारी शुरू करने के बाद उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति में पूरी तरह से सुधार हुआ है, 150 (48.29%) ने कहा है कि उनके रोजगार में भागीदारी के बाद उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति में काफी सुधार हुआ है और 43 (13.71%) कामकाजी महिलाओं ने महसूस किया है कि उनके बाहरी रोजगार में भागीदारी के बाद उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति में कुछ हद तक सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

कई अध्ययनों से पहले ही पता चला है कि, शिक्षा और रोजगार में लैंगिक असमानता थी, लेकिन वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के बाद, महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, महिलाएं अब शिक्षित रोजगार में तेजी से भाग ले रही हैं। यह देखा गया है कि, विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों की तुलना में, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नगर निगम और जीईएससीओएम में कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है। इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन के लिए इन विभागों में अधिकांश कामकाजी महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। जब सर्वेक्षण की गई कामकाजी महिलाओं के आयु समूहों का विश्लेषण किया गया, तो पाया गया कि, अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्न या मध्यम आयु वर्ग की हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि, पहले, शिक्षा और बाहरी रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कम थी, ऐसे में, विभिन्न विभागों में काम करने वाली महिलाएं बहुत कम हैं, जो कम शैक्षणिक योग्यता के कारण निचले पदों पर हैं। इन कामकाजी महिलाओं की धार्मिक पृष्ठभूमि से पता चला कि हिंदू महिलाओं का रोजगार में वर्चस्व है और यह देखा गया है कि इस्लाम जैसे कुछ धर्मों में महिलाओं के लिए बाहरी रोजगार करने पर कुछ प्रतिबंध हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाएँ सरकारी रोजगार में अधिक हैं। चूंकि जाति–आधारित व्यवसाय, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग लगे हुए थे, कम होने लगे या गायब हो गए या यहाँ तक कि उनका महत्व भी खत्म हो गया, इसलिए इन वर्गों ने शिक्षा प्राप्त की और रोजगार प्राप्त किया। इसके अलावा, तिरुवनंतपुरम शहर में अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है और सरकार की विभिन्न सुविधाओं जैसे आरक्षण और छात्रवृत्ति के कारण, सरकारी विभागों और संस्थानों में भी अधिक अनुसूचित जाति की महिलाएँ कार्यरत हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. अशोक कुमार और सुंदर (2012): पुडुचेरी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत महिला अधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 1(7), जुलाई 2012, पृष्ठ 180–193।

[2]. अस्मिता भट्टाचार्य और भोला नाथ घोष (2012): भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में महिलाएँ: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 3(6), नवंबर–दिसंबर 2012, पृष्ठ 45–52।

[3]. चक्रवर्ती, प्रदीप कुमार और देबाशीष, नियोगी (2018): क्या समूह गतिविधियों में महिलाओं का रोजगार बेहतर सामाजिक स्थिति सुनिश्चित करता है? उत्तर–पूर्व भारत के कुछ शहरी क्षेत्रों पर चुनिंदा संकेतकों के साथ एक अध्ययन। रिसर्च जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, 9(2), 2018, पृष्ठ 356–374।

[4]. चंदेल, पायल कंवर और शेखावत, जितेंद्र (2019): भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं की शारीरिक छवि, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग, 8(7), मई 2019, पृ. 111–113।

[5]. दत्ता, सुमिता और अग्रवाल, उपासना ए (2017): भारतीय महिला प्रबंधकों के करियर की उन्नति को प्रभावित करने वाले कारक। साउथ एशियन जर्नल ऑफ बिजनेस स्टडीज, 6(3), 2017, पृ. 314–336।

[6]. दीपा आनंद प्रिया, पी (2013): तमिलनाडु में आईटी और आईटीईएस उद्योगों में महिला कर्मचारियों के नौकरी के तनाव पर एक अध्ययन। पैरीपेक्सः इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, 2(7), जुलाई 2013, पृ. 144–146।

[7]. ड्रोन्कर्स, जे (1995): कामकाजी माताओं के व्यवसायों का शैक्षिक असमानता पर प्रभाव। शैक्षिक अनुसंधान और मूल्यांकन, 1(3), 1995, पृ. 226–246।

[8]. हिना अहमद हाशमी, एट अल (2007): कामकाजी और गैर–कामकाजी विवाहित महिलाओं में वैवाहिक समायोजन, तनाव और अवसाद। इंटरनेट जर्नल ऑफ़ मेडिकल अपडेट, 2(1), जनवरी–जून 2007, पृ. 19–26।

[9]. होलेयान्नावर, पीजी और इटागी, एसके (2011): प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और गृहिणियों के तनाव, स्वास्थ्य स्थिति और भावनात्मक क्षमता के बीच संबंध। ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज जर्नल, 6(1), 2011, पृ. 59–65।

[10]. जगदीप कौर, एट अल (2012): चंडीगढ़, भारत की कामकाजी महिलाओं में जीवन की गुणवत्ता और इसकी धारणा पर विवाह का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस टुमॉरो, 1(3), मई 2012, पृ.1–7.

[11]. जेन्सन, रॉबर्ट (2012): क्या श्रम बाजार के अवसर युवा महिलाओं के काम और पारिवारिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं? भारत से प्रायोगिक साक्ष्य। द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 127, 2012, पृ. 753–792.